न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजि0 नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/37/2025	2025/99	05.05.2025	12.08.2025

1. यूको बैंक, शाखा–मालवीय नगर अलवर जिला अलवर राज0–301001

–प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ए.के. ट्रैडर्स, प्रो. श्री अनिल पुत्र श्री राजकुमार पता–सैन्ट एंड्रयूज चर्च, दुकान सं. 190, वार्ड सं. 15183–0 रीको औद्योगिक क्षेत्र, टाउन हॉल चर्च रोड़ के सामने, अलवर जिला अलवर राज0।
2. श्रीमति रामकली पत्नि स्व0 श्री रामलाल (गारण्टर), पता–गोपाल टॉकीज के पास, नाला शीश गरण, अलवर जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

——:: निर्णय ::——

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा श्रीमति रामकली पत्नि स्व0 श्री रामलाल (गारण्टर) के नाम से आवासीय मकान पट्टा सं. 508, मौहल्ला–नाला शीश गरण, गोपाल टॉकीज के पास, अलवर जिला अलवर राज0 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है जिसकी माप लगभग 49.80 वर्ग मीटर है। सीमाऐ पूर्व–20 फीट रोड़, पश्चिम–रामकली का घर, उत्तर–लाला राम का घर एवं दक्षिण–नरसी का घर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स दिनांक 29.10.2024 घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :–

1–रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

2.—आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो सासरत उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्राट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया करावें। निर्णय प्रमाणित प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर एवं तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर
अलवर (राज०)